मध्यप्रदेश शासन

गृह विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 02/12/2022

क्रमांक–एफ–1–59/2020/बी–2/दो, श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे (1986) विशेष पुलिस महानिदेशक एवं तत्कालीन संचालक, लोक अभियोजन संचालनालय, जिला भोपाल की पदस्थापना अवधि में दिनांक 27.09.2020 को सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज में उनके द्वारा अनैतिक आचरण एवं पत्नी के साथ घरेलू हिंसा किया जाना प्रथम दृष्ट्या दृष्टिगोचर होने पर, राज्य शासन द्वारा श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे (1986) विशेष पुलिस महानिदेशक एवं तत्कालीन संचालक, लोक अभियोजन संचालनालय, जिला भोपाल को अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन तथा अपील) नियम–1969 के नियम–3(1) के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 29.09.2020 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था।

2/ श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे (वर्तमान में निलंबित) के निलंबन की अवधि दिनांक 27.11.2020 से 60 दिवस की और वृद्धि किए जाने संबंधी आदेश दिनांक 25.11.2020 को जारी किये गये। श्री शर्मा, भापुसे की उक्त निलंबन अवधि समाप्त होने पर समीक्षा समिति की अनुशंसा अनुसार श्री शर्मा, भापुसे की निलंबन अवधि में निरंतर आदेश दिनांक 26.12.2020 द्वारा 60 दिवस, आदेश दिनांक 24.03.2021 द्वारा 120 दिवस, आदेश दिनांक 23.07.2021 द्वारा 120 दिवस, आदेश दिनांक 18.11.2021 द्वारा 120 दिवस एवं आदेश दिनांक 16.03.2022 द्वारा 120 दिवस की और वृद्धि की गई। श्री शर्मा, भापुसे के निलंबन की उक्त 120 दिवस की अवधि दिनांक 20.07.2022 को समाप्त हो चुकी है।

3/ श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे (1986) के विरूद्ध विभागीय समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 28.10.2020 द्वारा आरोप–पत्रादि जारी किए गए। प्रकरण में विभागीय जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जांच रिपोर्ट प्राप्त होने में अभी समय लगने की संभावना है।

4/ श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे (वर्तमान में निलंबित) ने उनके निलंबन के विरूद्ध केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर में ओ.ए. क्रमांक 200/514/2020 दायर की गई। माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर ने उक्त याचिका में दिनांक 05.05.2022 को आदेश पारित करते हुए श्री शर्मा, भापुसे का निलंबन आदेश समाप्त कर दिया। माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.05.2022 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में रिट पिटीशन क्रमांक 16799/2022 दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा उक्त रिट पिटीशन क्रमांक 16799/2022 को आदेश 21.11.2022 द्वारा खारिज कर दिया गया।

5/ माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.11.2022 के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष अनुमति याचिका दायर किए जाने हेतु प्रकरण वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

– निरंतर –

6/ माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक ओ.ए. 200/514/2020 में पारित आदेश दिनांक 05.05.2022 एवं उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर रिट पिटीशन क्रमांक 16799/2022 में पारित आदेश दिनांक 21.11.2022 के आलोक में राज्य शासन श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे (वर्तमान में निलंबित) को दिनांक 21.07.2022 से निलंबन से बहाल करते हुए अस्थाई रूप से, अन्य आगामी आदेश तक विशेष पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पदस्थ करता है।

7/ उपरोक्त आदेश अंतिम रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में प्रक्रियाधीन विशेष अनुमति याचिका (S.L.P) में पारित अंतरिम/अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा। श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे के निलंबन अवधि में नियमन के संबंध में पृथक से विचार कर आदेश जारी किए जाएंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

2.12.22
(एच.एस.मीना)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

पृ0क्रमांक एफ–1–59/2020/बी–2/दो, भोपाल दिनांक 02/12/2022

प्रतिलिपिः–

01. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली।
02. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
03. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
04. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
05. प्रमुख सचिव, (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय भोपाल।
06. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मान0 मुख्यमंत्री म0प्र0 भोपाल।
07. विशेष सहायक, मंत्री जी गृह मंत्रालय भोपाल।
08. अति0 पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय भोपाल।
09. श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे (1986) विशेष पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, पुलिस मुख्यालय, भोपाल।
10. गृह विभाग कक्ष बी–2, स्थापना/लेखा/आर्डर बुक/स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

2.12.22
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग